AISEVAK.IN · निःशुल्क गाइड

Traffic Challan Dispute / Representation

दस्तावेज़ प्रकार : पत्र / नोटिस · तैयार किया गया 15 Oct 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

गलत या अत्यधिक ट्रैफिक ई-चालान को Lok Adalat या ट्रैफिक न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। यह टूल तथ्य, आधार व साक्ष्य-सूची सहित प्रस्तुतीकरण तैयार करता है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

तथ्य, मुद्दावार आधार (गलत वाहन, बिका हुआ, गलत पहचान, अधिक जुर्माना) व माँगी राहत सहित प्रस्तुतीकरण तैयार करना।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

प्रस्तुतीकरण व साक्ष्य-सूची का उपयोग Lok Adalat, वर्चुअल कोर्ट या ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ई-चालान चुनौती देने, और चालान बरकरार रहने पर ही भुगतान करने के लिए करें।

यह किसे दिया जाता है

Lok Adalat, वर्चुअल कोर्ट, या ट्रैफिक मजिस्ट्रेट (चयनानुसार), और ट्रैफिक पुलिस/परिवहन विभाग।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

चालान विवरण व साक्ष्य (बिक्री-पत्र, फोटो, पूर्व भुगतान) सहित प्रस्तुतीकरण चुने मंच के समक्ष, या उपलब्ध होने पर ऑनलाइन शिकायत/वर्चुअल-कोर्ट से दाखिल करें।

इसकी जाँच किससे कराएँ

विवादित मजिस्ट्रेट मामले हेतु वकील ; स्पष्ट तथ्यात्मक त्रुटि पर प्रस्तुतीकरण व साक्ष्य सामान्यतः पर्याप्त।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

कुछ आधार (सूचना-सहित बिका वाहन, गलत पहचान, डुप्लिकेट, या निर्धारित से अधिक जुर्माना) मज़बूत हैं; अपराध स्पष्ट होने पर Lok Adalat से भुगतान व्यावहारिक। यह मसौदा-सहायता है।

साथ के दस्तावेज़

इस टूल के लिए पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज़ सूचीबद्ध नहीं हैं।

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।